विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) 456010
परीक्षा विभाग

क्र./परीक्षा/2022/1010 **दिनॉक :** 27-1-2022

प्रति,

प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय
विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र
उज्जैन (म.प्र.)

विषयः सत्र 2021–22 की परीक्षाओं के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन, भोपाल के निर्देशानुसार समस्त सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन शीघ्र ही किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में महाविद्यालयीन स्तर पर तैयारी की जाना है।

अतः शासन की कोविड 19 गाईडलाईन के परिप्रेक्ष्य में मार्च–अप्रैल 2022 में सम्पन्न होने वाली वार्षिक प्रणाली की परीक्षाओं का निर्दिदित आयोजन किए जाने हेतु, आप अपने जिले के समस्त महाविद्यालयों से संपर्क कर परीक्षाओं की तैयारी स्थान आदि के विषय में 03 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें जिससे परीक्षाओं का संचालन समय पर करवाया जा सके। ।

कुलसचिव

क्र./परीक्षा/2022/1011 **दिनॉक :** 27-1-2022
प्रतिलिपिः

1. अतिरिक्त संचालक, म.प्र. शासन उच्चशिक्षा विभाग, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
2. माननीय कुलपतिजी एवं कुलसचिवजी के निजी सहायक की ओर सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव(परीक्षा)

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / परीक्षा केन्द्र / 3198 दिनांक 28/01/2009

:: अधिसूचना ::

विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के "अशासकीय महाविद्यालयों" में परीक्षा केन्द्र स्थापना हेतु निम्नानुसार [illegible] निर्धारित किए गए हैं :-

(A) परीक्षा केन्द्र निर्धारण के मापदण्ड :-

1. महाविद्यालय की स्थापना को कम से कम 05 शिक्षण सत्रों तक निरंतर संचालन हो चुका हो।
2. महाविद्यालय के प्राचार्य एवं न्यूनतम तीन शिक्षकों का चयन परिनियम क्र. 28 के अन्तर्गत हुआ हो।
3. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त तथा अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों की संख्या 250 (दो सौ पचास) से कम न हो।
4. प्रश्न पत्र / उत्तरपुस्तिकाओं की सुरक्षा हेतु "स्ट्रांग रूम" की समुचित व्यवस्था हो।
5. परीक्षा हेतु पर्याप्त कक्षों एवं फर्नीचर की व्यवस्था हो
6. वीक्षकीय कार्य हेतु पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता हो।
7. परीक्षा आयोजन हेतु सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो।

(B) परीक्षा केन्द्र हेतु निम्नानुसार शुल्क निर्धारित किया गया है :-

i. केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 500 तक होने पर - रु. 20,000/- प्रतिवर्ष
ii. [illegible] प्रतिवर्ष
iii. केन्द्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से अधिक होने पर - रु. [illegible] 1000/- [illegible]
रु. प्रति 500 विद्यार्थी के गुणकों में.

उपरोक्त शुल्क वर्ष की मुख्य परीक्षा (वार्षिक प्रणाली) से देय होगा।

(C) यदि विश्वविद्यालय द्वारा समस्त नियमों की पूर्ति के पश्चात् वर्ष मुख्य परीक्षा (वार्षिक प्रणाली) में परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाता है, तो महाविद्यालय को प्रथम बार उपरोक्त शुल्क जमा करना होगा। तदुपरांत, आगामी सत्र से प्रति सत्र यह शुल्क दिनांक 31 अगस्त तक देय होगा। पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्र भी यह शुल्क इसी परीक्षा से जमा करेंगे।

निरंतर ...

D) i) जिन अशासकीय महाविद्यालयों में वर्तमान में परीक्षा केन्द्र स्थापित है, यदि वे आगामी परीक्षाओं हेतु उसे निरन्तर रखना चाहते हों तो उक्त मापदण्डों की पूर्ति विषयक "शपथ–पत्र" (दस रू. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड) समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित, तत्काल विक्रम विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें।

ii) ऐसे महाविद्यालय इस आशय का एक "अभिवचन–पत्र" (दस रू. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड) भी प्रस्तुत करेंगे कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा अन्य महाविद्यालयों के विद्यार्थी उनके परीक्षा [illegible] भेजे जाने पर वे उन्हें स्वीकार करने के लिये बाध्य होंगे तथा केन्द्र पर परीक्षा देने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

E) यदि कोई अशासकीय महाविद्यालय नवीन परीक्षा केन्द्र स्थापित करवाना चाहता हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र** में नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत करे।

* शपथ पत्र / अभिवचन पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र के साथ विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाए।

** आवेदन प्रपत्र निर्धारित मूल्य का भुगतान कर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जाए।

कुलसचिव

प्रतिलिपि - 3199 दि० 28/01/2009

1) [illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2) कुलपतिजी एवं कुलसचिव जी के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।

3) समस्त अधिकारी, (अकादमिक विभाग / लेखा विभाग) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

उपकुलसचिव (परीक्षा)